न्यायालय :: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः राकेश धर दुबे, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008

दांडिक प्रकीर्ण वाद (स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र) सं0–527/2026

(CNR. No.-UPET010042952026)

राजीव कुमार वार्ष्णेय बनाम उ0प्र0 राज्य

दिनांकः 10.07.2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र 3अ

01. पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकारा गया। पुकार पर आवेदक राजीव कुमार वार्ष्णेय की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

02. आवेदक राजीव कुमार वार्ष्णेय की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र 3अ वास्ते स्थानान्तरित किये जाने पत्रावली दांडिक निगरानी सं0 452/2025, डॉ0 ललित गुप्ता बनाम चेतन मिश्रा आदि, लंबित धारा अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–01, एटा प्रस्तुत किया गया है।

03. संक्षेप में आवेदक राजीव कुमार वार्ष्णेय का कथन है कि दिनांक 08.06.2026 को आवेदक उक्त रिवीजन की सुनवाई की बावत न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–01, एटा के न्यायालय परिसर में उपस्थित था। उसी समय आवेदक ने स्वय देखा एवं सुना कि न्यायालय अपर जिला एवं एत्र न्यायालय कोर्ट नं०–01, एटा के पेशकार महोदय रिवीजनकर्ता डॉ० ललित गुप्ता से वार्ता कर रह थे तथा कह रहे थे कि ''मैं साहब से तुम्हारे रिवीजन के बारे में बात करके तुम्हारे पक्ष में आदेश करा दूंगा, तुम परेशान न हो।'' उक्त वार्ता के समय न्यायालय परिसर में काफी भीड़ थी तथा रिवीजनकर्ता डॉ० ललित गुप्ता का मुख आवेदक की ओर नहीं था, जिस कारण आवेदक को नहीं देख पाया कि आवेदक पीछे खड़ा होकर उक्त वार्ता सुन रहा है। उसके बाद पेशकार महोदय द्वारा रिवीजनकर्ता डॉ० ललित गुप्ता के पत्रावली पर हस्ताक्षर करा लिये और जब आवेदक ने कहा कि उसके भी हस्ताक्षर करा लीजिए, तो पेशकार महोदय ने हस्ताक्षर नहीं कराये और दिनांक 30.06.2026 अग्रिम दिनांक नियत करवा दी। आवेदक दिनांक 30.06.2026 को सुनवाई हेतु सम्बन्धित न्यायालय परिसर में उपस्थित था, तो आवेदक द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र दिया गया, जो न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–01, एटा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और आवेदक की बात नहीं सुनी गयी। उक्त घटना के पश्चात् आवेदक के मन में निष्पक्ष एवं निर्भीक सुनवाई के सम्बन्ध में वास्तविक एवं उचित आशंका उत्पन्न हो गई कि उसके प्रकरण का निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकेगा। चूंकि पेशकार महोदय न्यायालय के अभिन्न अंग है और उनकी उक्त वार्ता से व सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आवेदक की बात न सुने जाने पर आवेदक को सम्बन्धित न्यायालय की निष्पक्षता पर विश्वास प्रभावित हुआ है। अतः उक्त पत्रावली को स्वयं रिकॉल कर सुनवाई किये जाने अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने की याचना गयी है।

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.07.10 16:31:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

04. आवेदक राजीव कुमार वार्ष्णेय ने अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र 4ब प्रस्तुत किया है।

05. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–01, एटा की आख्या प्राप्त है, जिसके अनुसार समस्त आरोप पूर्णतः मिथ्या, निराधार एवं भ्रामक हैं और न्यायालय की छवि को धूमिल करने व न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किये गये हैं। यदि उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है, हो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

06. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

07. उल्लेखनीय है कि अंतरण आवेदन–पत्र में संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाये गये हैं, तथापि न्यायहित में एवं शुचिता बनाये रखने हेतु उक्त दांडिक निगरानी का निस्तारण किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी दशा में स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र 3अ स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

08. स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र 3अ स्वीकार किया जाता है। दांडिक निगरानी सं0 452/2025, डॉ0 ललित गुप्ता बनाम चेतन मिश्रा आदि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–01, एटा से इस न्यायालय में विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु वापस ली जाती है।

तद्नुसार सूचित हों।

दिनांकः 10.07.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश, एटा।